रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D (D.)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1976/भाद्र 27, 1898

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1976/BHADRA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रीमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1976

सा०का०नि० 1330.—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सम्बद्ध राज्यों से परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) तीसरा संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 में उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह किसी मामले में या मामलों के वर्ग में ठीक समझे, तो परिवीक्षा की अवधि को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए बढ़ा सकेगी, अर्थात् :—

(क) ऐसी कुल अवधि, जिसके लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट सेवा के लिए भर्ती किया गया व्यक्ति परिवीक्षा पर रखा जा सकेगा सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ; और

(ख) ऐसी कुल अवधि, जिसके लिए उपनियम (2) में निर्दिष्ट सेवा के लिए भर्ती किया गया व्यक्ति परिवीक्षा पर रखा जा सकेगा सामान्यतः दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3-क) उपनियम (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को निलंबनाधीन रखा जाता है या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां अनुध्यात की जाती हैं या आरम्भ की जाती हैं अथवा उसके विरुद्ध कोई जांच पड़ताल जांच अथवा आपराधिक आरोप से संबंधित कोई विचारण (ट्रायल) लंबित पड़ा हुआ हो, तो उसकी परिवीक्षा की अवधि ऐसी अवधि तक बढ़ाई जा सकेगी, जिसे केन्द्रीय सरकार उस मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे।"

[सं० 11037/8/75-अ०भा०से० (III)-ख]

आर० एल० अग्रवाल, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 3rd September, 1976

G.S.R. 1330.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after a consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, namely :—

Attested

प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

सा०का०नि० 1354.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इस के द्वारा दण्डकारण्य परियोजना (श्रेणी 4 के पदों) पर भर्ती के नियम, 1971 को रद्द करते हैं।

[संख्या 1(45)/75-दण्डक(ii)]
शान्ति लाल, उप-सचिव

G.S.R. 1354.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby rescinds the Dandakaranya Project (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1971.

[No. 1(45)/DNK (ii)]
SHANTI LAL, Dy. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1976

सा०का०नि० 1355.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम कर्मचारी, भविष्य निधि चतुर्थ संशोधन स्कीम, 1976 है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, में पैरा 1 के उप-पैरा (3) के खण्ड (ख) में, उपखण्ड (80) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(81) जहां तक भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1102 तारीख 24 जुलाई, 1976 के अधीन आने वाली एपेटाइट, एसबेस्टाइस, कैलसाइट, बाल-मृत्तिका (क्ले), कुरुविन्द (कोरंडम), मरकत (इमरल्ड) फैलडस्पार सिलिका सैन्ड, स्फटिक (क्वार्टज) गेरिल (आबरे), क्रोमाईट, ग्रेफाइट और क्लोराइट खानों का संबंध है, 30 सितम्बर, 1076 से प्रवृत्त होगी।"

[संख्या 4/4/70-पी०एफ०-2]
एस०एस० सहस्रनामन, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd September, 1976

G.S.R. 1355.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (i) of Section 7 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 namely :—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fourth Amendment) Scheme, 1976.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 in clause (b) of sub-paragraph (3) of paragraph 1, after sub clause (LXXX), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(LXXXI) as respects the apatite, asbestes, calcito, bill clay, corundum, emerald, feldspar, silica, band, quartz, ochre, Chromite, graphite and flourite mines covered by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 1102 dated the 24th July, 1976 come into force on the 30th September, 1976.

[No. 4/4/70-PF. II]
S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1976

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा०का०नि० 1356.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 ज के अन्तर्गत आने वाले अमोनिया को उतने शुल्क से छूट देती है, जितना उसके मूल्य के उस भाग के प्रति निर्देश से उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर है जितना उस पैकिंग की लागत के रूप में है, जिसमें ऐसे अमोनिया का कारखाने से हटाए जाने के समय परिदान किया जाए।

[सं० 250/76-के० उ० शुल्क फा० सं० 315/17/76-सी एक्स 10/सी एक्स 1]
जी० एस० मैंगी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Banking)

New Delhi, the 18th September, 1976

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1356.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Ammonia falling under Item No. 14H of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty as is equivalent to the duty leviable with reference to that part of the value thereof which represents the cost of packing in which such Ammonia is delivered at the time of removal from the factory.

[No. 250/76-CE/F. No. 315/17/76-CX 10/CXI]
G. S. MAINGI, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1976

(राजस्व पक्ष)

सीमा शुल्क

सा०का०नि० 1357.—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के, राजस्व और बैंककारी विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 377 सीमा शुल्क तारीख 16 जुलाई, 1976 और राजस्व और बैंककारी विभाग सं० 390 तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "जब उनका आयात भारत में किया जाए" शब्दों के स्थान पर "जब वनस्पति में उपयोग के लिए उनका आयात भारत में किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 411/फा०सं० 355/115/76-सी० शुल्क I]

New Delhi, the 18th September, 1976

(Revenue Wing)

CUSTOMS

G.S.R. 1357.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes

Attested